न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी : हरिश मेनारिया, आर.जे.एस. (अतिरिक्त कार्यभार)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 258/2017

सीएनआर नं. : RJDG090003492017

राजस्थान राज्य --अभियोगी

बनाम

1. लोकेश सिंह पिता शिवलाल, निवासी दुब्बी, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा(राज.)
2. मनोज उर्फ मारमीक पिता लालु
3. जीवा पिता चेतन
   निवासी डोल कुंजेला सुराता, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर (राज.)

-- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं.

उपस्थित-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री भगवान गुर्जर, अभियुक्त संख्या 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री गौतमलाल रोत, अभियुक्त संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11-03-2026

1. इस प्रकरण का उद्भव सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना धम्बोला की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में ''भा.द.सं.'') में अभियोग-पत्र दिनांक 02-05-2017 को प्रस्तुत किये जाने पर हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी नारायणसिंह एसआई, ओपी झौथरी ने दिनांक 12.03.2017 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पुलिस थाना, धम्बोला के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 12-03-2017 को वह मय जाप्ता होली पर गश्त हल्का हेतु निकला था कि करीब 2.30 पीएम पर जरिये टेलीफोन पीएचसी पोहरी खातुरात के सामने रोड पर एक्सीडेट की सूचना पर वह मय जाप्ता मौके पर पहुंचा, तो एक कार ईओएन नं. आरजे 29 सीए 3296 एवं आपे टेम्पो में बैठे लोगों के चोटें आईं, जिन्हें इलाज हेतु पीएचसी पोहरी खातुरात ले जाया गया। मौके के हालात एवं लोगों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि दिन में करीब 2.15 बजे कार नं. आरजे 29 सीए 3296 एवं टेम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 के चालक दोनों द्वारा अपने-अपने वाहन को तेज रफ्तार एवं गफलत लापरवाही से चलाकर आमने-सामने भीडन्त कर दी, जिससे टेम्पो में बैठी सवारियों के चोटें आई। टेम्पो चालक मनोज पिता लालु एवं कार चालक द्वारा दुघर्टना कारित करना

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

पाया। मौके की फोटोग्राफी कर दोनों वाहनों को रोड़ से हटाकर यातायात चालु कराया। मजरुहान के आईं चोटों के मेडिकल हेतु मेडिकल ज्यूरिष्ट को तेहरीर दी गई। टेम्पो में क्षमता से अधिक सवारी बैठी होना ज्ञात आया, ...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना धम्बोला पर अभियोग संख्या 68/2017 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्त लोकेश सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं., अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. व धारा 3/181, 39/192 ए मोटरयान अधिनियम तथा अभियुक्त जीवा के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम प्रमाणित होने से अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक किया गया। अभियुक्तगण को उक्तानुसार अपराधों का अभियोग सार मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने उक्त अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 नारायणसिंह, पी.डब्ल्यु. 2 धनपाल, पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा, पी.डब्ल्यु. 4 रामगोपाल, पी.डब्ल्यु. 5 हरिदेव, पी.डब्ल्यु. 6 कृष्णा, पी.डब्ल्यु. 7 लालु, पुनः पी.डब्ल्यु. 7 जयदीपसिंह, पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार, पी.डब्ल्यु. 9 श्रीमती काली, पी.डब्ल्यु. 10 गजराजसिंह, पी.डब्ल्यु. 11 रूपलाल, पी.डब्ल्यु. 12 दिलीपसिंह, पी.डब्ल्यु. 13 पुरणमल एवं पी.डब्ल्यु. 14 डॉ. गजेन्द्र को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3, एमओ को तहरीर प्रदर्श पी-4, कार एवं टैम्पो के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-5 से पी-7, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी-8, फर्द पेशकसी कागजात कार प्रदर्श पी-9, वाहन की आरसी प्रदर्श पी-10, फर्द जब्ती कार पुनः प्रदर्श पी-10, कार का बीमा प्रदर्श पी-11, फर्द जब्ती टैम्पो पुनः प्रदर्श पी-11, एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी-12, चोट प्रतिवेदन कृष्णा पुनः प्रदर्श पी-12, पुलिस बयान राजकुमार प्रदर्श पी-13, पुलिस बयान श्रीमती काली प्रदर्श पी-14, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी-15, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट लोकेशसिंह प्रदर्श पी-16, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट अभियुक्त मनोज प्रदर्श पी-17, चोट प्रतिवेदन देवीलाल प्रदर्श पी-18, चोट प्रतिवेदन श्रीमती काली प्रदर्श पी-19, चोट प्रतिवेदन विरजी प्रदर्श पी-20, चोट प्रतिवेदन गजेन्द्र पुनः प्रदर्श पी-20, चोट प्रतिवेदन लोकेश प्रदर्श पी-21, चोट प्रतिवेदन मनोज प्रदर्श पी-22, एक्स-रे कृष्णा प्रदर्श पी-23, फर्द पेशकसी कागजात टैम्पो प्रदर्श पी-24 एवं चोट प्रतिवेदन राजकुमार प्रदर्श पी-25 को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यु. 6 कृष्णा से प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से पुलिस बयान कृष्णा को प्रदर्श डी-1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि सहवन सह पी.डब्ल्यु. 7 के रूप में दो साक्षीगण को संख्यांकित कर दिया गया तथा प्रदर्श पी-10, पी-11, पी-12 व पी-20 के रूप में दो दो दस्तावेज संख्यांकित कर दिये गये है।

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या दिनांक 12-03-2017 को दिन के करीब 2.15 बजे मौजा पीएचसी पोहरी खातुरात के सामने लोकमार्ग पर अभियुक्त लोकेशसिंह ने कार नं. आरजे 29 सीए 3296 को तथा अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक ने टेम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापित किया तथा इस प्रकार से वाहन चलाने उक्त दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गये, जिससे इन वाहनों में सवार देवीलाल, विरजी व गजेन्द्र के शरीर पर साधारण उपहतियां, राजकुमार के शरीर पर घोर उपहति तथा कृष्णा व काली के शरीर पर साधारण एवं घोर उपहतियां कारित हुई तथा क्या अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक ने दुर्घटना के समय उक्त टेम्पों को बिना चालक अनुज्ञप्ति धारण किये हुए एवं टेम्पों अपंजीकृत होते हुए टेम्पों को लोकमार्ग पर चलाया? क्या अभियुक्त जीवा ने यह जानते हुए कि अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक के पास उक्त टेम्पों चलाने हेतु वाहन चालक अनुज्ञप्ति नहीं है, उक्त वाहन लोकमार्ग पर उसे चलाने के लिये दिया? यदि हां, तो उचित दण्ड होगा?''*

7. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 नारायणसिंह, आहतगण पी.डब्ल्यु. 6 सुश्री कृष्णा, पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार व पी.डब्ल्यु 9 श्रीमती काली एवं चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा तात्विक साक्षीगण है। शेष साक्षीगण में फर्द जब्ती वाहन के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. पी.डब्ल्यु. 5 हरिदेव व पी.डब्ल्यु. 7 लालु, फर्द पेशकशी कागजात कार के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 4 रामगोपाल व पी.डब्ल्यु. 12 दिलीपसिंह, टेम्पो स्वामी पी.डब्ल्यु. 11 रूपलाल, मैकेनिकल मुआयनाकर्ता पी.डब्ल्यु. 7 जयदीप सिंह, रेडियोग्राफर पी.डब्ल्यु. 2 धनपाल, चिकित्सकगण पी.डब्ल्यु. 13 डॉ. पूरणमल व पी.डब्ल्यु. 14 डॉ. गजेन्द्र एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 10 गजराजसिंह हैं।

8. प्रकरण में परीक्षित कराये गये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करे, तो प्रकरण में परीक्षित प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 नारायणसिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों की सम्पुष्टि करते हुए उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि वह दिनांक 12.03.2017 को थाना धम्बोला में एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन वह मय जाब्ता होली पर गश्त हल्का कर रहा था, तब जरिये टेलीफोन पोहरी खातुरात पी.एच.सी. के सामने रोड पर एक्सीडेन्ट होने की सूचना पर करीब 2.30 बजे वह मय जाब्ता मौके पर गया, तो देखा कि पी.एच.सी. पोहरी खातुरात के सामने कार नं. आरजे 29 सीए 3296 एवं एक आपे

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

टेम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 की आपस में भिडन्त हो गई थी तथा टेम्पो में बैठे लोगों के चोटें आईं थीं, जिन्हें इलाज हेतु पी.एच.सी. पोहरी खातुरात ले जाया गया तथा ईलाज व मेडिकल हेतु एम.ओ. को तहरीर दी। मौके के हालात एवं लोगों से मालुमात करने से दिन में करीब 2.15 पी.एम. कार नं. आरजे 29 सीए 3296 के चालक लोकेशसिंह गुर्जर एवं टेम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 के चालक मनोज द्वारा वाहन को तेज रफ्तार व गफलत लापरवाही से चलाकर आमने-सामने भिडन्त एवं एक्सीडेन्ट करना पाया, जिससे टेम्पो में बैठी सवारियों के चोटें आईं तथा दोनों वाहनों के चालकों के भी चोटें आईं। मौके की फोटोग्राफी कर वाहनों को हटाया जाकर यातायात चालु कराया। टेम्पो में क्षमता से अधिक सवारियाँ होने की जानकारी हुई थी। उक्त घटना की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उसने पेश की। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-2 है। अनुसंधान अधिकारी को घटनास्थल बताकर नक्षा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया। एम.ओ. को दी गई तहरीर प्रदर्श पी-4, मौके के फोटो प्रदर्श पी-5 से पी-7 है। दोनों चालकों की लापरवाही से यह उक्त एक्सीडेन्ट हुआ था। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने टैम्पो चालक द्वारा टैम्पो में सवारियां क्षमता से अधिक भरना स्वीकार किया।

9. आहता पी.डब्ल्यु. 6 सुश्री कृष्णा ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया कि वह दिनांक 12.03.2017 को टैम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 से झौंथरी से करावाड़ा आ रही थी कि पोहरी खातुरात पीएचसी के पास सामने से कार नं. आरजे 29 सीए 3296 के चालक व टेम्पो के चालक द्वारा वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाने से एक्सीडेन्ट हुआ, जिससे टैम्पो में बैठे 4-5 लोगों को चोटें आईं। उसके बाएं हाथ की कलाई पर चोट आई थी, जिससे उसका हाथ फ्रेक्चर हो गया। उसका ईलाज पास में स्थित पी.एच.सी. कराया तथा वहाँ से उसे डूंगरपुर ईलाज हेतु ले गये। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 बनाया। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में टैम्पो के अन्दर व पीछे सवारियां बैठी होना, टैम्पो चालक द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाना तथा दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से दुर्घटना होना बताया।

10. चक्षुदर्शी साक्षी व वाहन स्वामी पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा ने उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि दिनांक 12.03.2017 को दिन में 2-2.15 पी.एम. पर वह, पति लोकेशसिंह व छोटा बच्चा उनकी कार नं. आरजे 29 सीए 3296 में बैठकर सीमलवाड़ा से डूंगरपुर जा रहे थे। कार उसका पति चला रहा था। वे पोहरी खातुरात पी.एच.सी. के सामने पहूँचे की सामने से एक टैम्पो आरजे 12 टीए 3555 के चालक मनोज द्वारा टैम्पो को तेजगति व लापरवाही से चलाकर उनकी कार के टक्कर मार दी। टैम्पो में 20-25 सवारियां थी। टेम्पो चालक टैम्पो को लहराते हुए चला रहा था। एक्सीडेन्ट से उसके एवं उसके पति के चोटें आईं थीं। टैम्पो में क्षमता से अधिक सवारियां भरी होने व टैम्पो के अनियंत्रित हो जाने से एक्सीडेन्ट हुआ। उनका ईलाज पोहरी खातुरात में कराया था। इस सम्बन्ध में पुलिस ने उसे धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-8 दिया, जिसका उसने जवाब दिया। प्रतिपरीक्षा में टैम्पो चालक द्वारा टैम्पो में 20-25 सवारिया भरना तथा चालक द्वारा उक्त टैम्पो को लहराते हुए चलाना बताया।

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

11. आहत पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि 5 साल पहले वह टैम्पो में बैठकर डूंगरपुर की तरफ से करावाड़ा की तरफ आ रहे था कि भीलवा पंचेला हॉस्पीटल के सामने से आ रही कार ने टैम्पो को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे व टैम्पो में बैठी अन्य सवारियों को चोटें आईं थीं। एक्सीडेन्ट कार चालक की गलती से हुआ तथा कार चालक द्वारा गलत दिशा में आकर टैम्पो को टक्कर मारी। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात प्रतिपरीक्षा में टैम्पो के नं. आरजे 12 पीए 3555 तथा कार के नं. आरजे 29 सीए 3296 होना पुलिस को बताना स्वीकार किया तथा कार चालक व टैम्पो चालक दोनों द्वारा वाहनों को लापरवाहीपूर्वक चलाकर आमने-सामने टक्कर मारने से उक्त दुर्घटना घटित होना कहा। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने दुर्घटना किसकी गलती से हुई, जानकारी में नहीं होना कहा।

12. आहता पी.डब्ल्यु. 9 श्रीमती काली ने उसकी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि वह वर्ष 2017 में टैम्पो में बैठकर झौथरी से करावाड़ा आ रही थी कि पी.एच.सी. पोहरी खातुरात के पास रोड पर सामने से कार व टैम्पो का एक्सीडेन्ट हो गया, जिससे टैम्पो में बैठी सवारियों को चोटें आईं। एक्सीडेन्ट कार वाले की गलती से हुआ। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया, परन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन के किसी भी सुझाव को सही होना स्वीकार नहीं किया। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में कहा कि टैम्पो में 15-20 सवारियां बैठी थी, जिससे उसका नियंत्रण बिगड़ गया और सही साईड में चल रही कार के टक्कर मार दी। टैम्पो चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी।

13. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित कराये गये उक्त तात्विक साक्षीगण की साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित दुर्घटना की सम्पुष्टि होती है तथा उक्त साक्षीगण ने उनकी सशपथ साक्ष्य में कार तथा टैम्पो के बीच में टक्कर होना, कार एवं टेम्पों के नम्बर बताते हुए कार चालक लोकेशसिंह एवं टैम्पो चालक मनोज उर्फ मारमीक होना बताया है। इन साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई भी विरोधाभास या लोप नहीं आया है, जिससे इन साक्षीगण द्वारा उनकी मुख्य परीक्षा में बताये गये तथ्यों का कोई खण्डन होता हो।

14. उक्त तात्विक साक्षीगण के अतिरिक्त नक्शा मौका व फर्द जब्ती वाहन के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 5 हरिदेव व पी.डब्ल्यु. 7 लालु ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 एवं फर्द जब्ती कार व टेम्पो प्रदर्श पी-10 व पी-11 पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, परन्तु फर्दो में उल्लेखित तथ्यों के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की। फर्द पेशकशी कागजात कार के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 4 रामगोपाल व पी.डब्ल्यु. 12 दिलीपसिंह ने उनकी सशपथ साक्ष्य में फर्द पेशकशी प्रदर्श पी-9 की सम्पुष्टि करते हुए उनके सामने कार नं. आरजे 29 सीए 3296 के कागजात कार स्वामी श्रीमती उषा द्वारा अनुसंधान अधिकारी को पेश किये जाने की सम्पुष्टि की।

15. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के मैकेनिकल मुआयनाकर्ता पी.डब्ल्यु. 7 जयदीप सिंह ने उसकी मुख्य परीक्षा में कहा है कि कार नं. आरजे 29 सीए 3296 के आगे का बम्पर टूटा हुआ, आगे के बोनट पर खरोंच के निशान व दबा हुआ, दाहीने ओर आगे की हैडलाईट टुटी

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

हुई, रेडियेटर टुटा हुआ, ब्रेक पेडल जाम होना, पीछे के दाई ओर के गेट पर खरोंचे व आगे मैन कांच पर दरारे थी। टेम्पों नं. आरजे 12 पीए 3555 के आगे मैन कांच टुटा हुआ, दोनों हैडलाईट टुटी हुई, आगे मडगार्ड पर खरोंचे व दबा हुआ, आगे का शॉ दाहीनी ओर बेण्ड खाया हुआ, बेट्री टुटी हुई थी। उसकी प्रदर्श पी-12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

16. धारा 133 एमवी एक्ट का जवाब लेखक पी.डब्ल्यु. 11 रूपलाल ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 12-03-2017 को जीवा के टेम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 व कार के बीच एक्सीडेण्ट हो गया था, जिसमें पुलिस ने टेम्पों जब्त किया एवं जीवा को नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी-15 दिया, जिस पर उसने जीवा के बताये अनुसार जवाब लिखकर दिया था और उसके हस्ताक्षर है। टेम्पों के दस्तावेज जरिये फर्द प्रदर्श पी-24 पुलिस को पेश किये थे। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसके थाने में कोरे कागज पर साईन करवाये थे, पुलिस ने इस पर क्या लिखा, उसकी जानकारी में नहीं है।

17. इनके अलावा अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 10 गजराजसिंह ने उसकी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाहियों की सम्पुष्टि करते हुए अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि टैम्पो में सवारियां क्षमता से अधिक भरी थी, जिस कारण एक्सीडेण्ट हुआ था। टैम्पो चालक के पास लाईसेंस नहीं होना कहा तथा उक्त दोनों वाहन चालकों की लापरवाही से दुर्घटना कारित होना स्वीकार किया।

18. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना करे, तो आहतगण पी.डब्ल्यु. 6 सुश्री कृष्णा, पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार व पी.डब्ल्यु 9 श्रीमती काली एवं चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा ने उनकी सशपथ साक्ष्य में स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखितानुसार दिनांक 12-03-2017 को दोपहर करीब 2.15 बजे पोहरी खातुरात पीएचसी के सामने कार नं. आरजे 29 सीए 3296 एवं टेम्पों नं. आरजे 12 पीए 3555 के बीच आमने सामने टक्कर होने की सम्पुष्टि की है। इन तथ्यों की सीमा तक इन साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में कोई तात्विक विरोधाभास या खण्डन दर्शित नहीं होता है।

19. इसके अलावा उक्त वाहनों के मध्य ही दुर्घटना होने की सम्पुष्टि इन वाहनों के स्वामीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य एवं पेश किये गये दस्तावेजों तथा मैकेनिकल मुआयनाकर्ता पी.डब्ल्यु. 7 जयदीपसिंह की साक्ष्य से भी होती है, जिसने उसकी साक्ष्य में उक्त दोनों ही वाहनों पर अत्यधिक क्षतिचिह्न होना बताये है, जो किसी दुर्घटना में ही आना सम्भव है। इसके अतिरिक्त भी उक्त वाहनों के दुर्घटनास्थल पर ही प्रार्थी द्वारा लिये गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-5 से पी-7 के अवलोकन से भी उक्त दोनों वाहनों के मध्य ही दुर्घटना होने की सम्पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से यह साबित होता है कि कार नं. आरजे 29 सीए 3296 एवं टेम्पो नं. आरजे 12 पीए 3555 के मध्य ही आमने सामने दुर्घटना पोहरी खातुरात पीएचसी के सामने लोकमार्ग पर हुई थी।

20. इस दुर्घटना में आहतगण पी.डब्ल्यु. 6 सुश्री कृष्णा, पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार व पी.डब्ल्यु 9 श्रीमती काली एवं अन्य आहतगण को भी चोटे आना बताया गया है, जो इस प

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण में विचारण के दौरान परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए है। उक्त आहतगण ने उनकी सशपथ साक्ष्य में उन्हें साधारण/घोर उपहतियां कारित होना बताया है। इसके अलावा आहतगण को कारित चोटो की सम्पुष्टि विशेषज्ञ साक्षीगण द्वारा भी की गयी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 13 डॉ. पूरणमल ने उसकी सशपथ साक्ष्य में आहत राजकुमार का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-25 होना बताते हुए उसके दांये पैर व बांये पैर में अस्थिभंग होने से दोनों चोटे गम्भीर प्रकृति की होना बताया। इसके अलावा आहत देवीलाल का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-18 के अनुसार उसकी ललाट पर कटाफटा घाव के रूप में एक साधारण प्रकृति की चोट होना बताया। इसी प्रकार चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 14 डॉ. गजेन्द्र ने उसकी सशपथ साक्ष्य में आहता कृष्णा का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 होना बताते हुए उसके शरीर पर तीन चोटे, जिनमें से एक बांये हाथ की कलाई में फ्रेक्चर होने से गम्भीर प्रकृति की, आहता श्रीमती काली का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-19 होना बताते हुए उसके दो चोटे, जिनमें से दांये कंधे में फ्रेक्चर होने से गम्भीर प्रकृति की, आहत विरजी का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-20 होना बताते हुए उसके शरीर पर आंख के उपर खरोंच एवं आहत गजेन्द्र का चोट प्रतिवेदन भी प्रदर्श पी-20 होना बताते हुए उसके दांये हाथ की अंगुली में खरोंच के रूप में साधारण प्रकृति की चोट होना बताया। इसके अलावा आहत राजकुमार के दोनो चोटे गम्भीर प्रकृति की होने की राय उक्त चिकित्सक द्वारा एक्स-रे के आधार पर दी गई है तथा एक्सरे आहत राजकुमार के ही होने की सम्पुष्टि हेतु रेडियोग्राफर पी.डब्ल्यु. 2 धनपाल को भी परीक्षित करवाया गया है, जिसने उसकी सशपथ साक्ष्य में दिनांक 22-03-2017 को मेडिकल ज्युरिष्ट की उपस्थिति एवं निर्देशन में आहत राजकुमार के दोनों पैरो की एड़ी के एक्सरे लेना, एक्सरे प्लेट नं. 1604 व 1605 होना व इसका लिफाफा प्रदर्श पी-6 होना बताया है। इस प्रकार आहतगण को दुर्घटना में उक्तानुसार साधारण एवं गम्भीर प्रकृति की चोटे कारित होने की भी सम्पुष्टि उक्त चिकित्सकगण की साक्ष्य से भी होती है।

21. अब इस बिन्दु पर विचार करे कि क्या कार नं. आरजे 29 सीए 3296 का चालक दुर्घटना के समय अभियुक्त लोकेशसिंह एवं टेम्पों नं. आरजे 12 पीए 3555 का चालक दुर्घटना के समय अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक ही था, तो इस सम्बन्ध में प्रथमतः टेम्पो चालक की पहचान के बिन्दु पर पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य को देखे, तो इस प्रकरण के आहत पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार दुर्घटना के समय उक्त टेम्पों में ही सवार था तथा इस आहत को टेम्पों में सवार होने के कारण चालक को देखने, पहचानने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। इस सम्बन्ध में आहत पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार ने उसकी अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि टेम्पों चालक मनोज द्वारा वाहन लापरवाहीपूर्वक चलाकर आमने सामने टक्कर मारने से यह दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा ने भी उसकी सशपथ साक्ष्य में टेम्पों चालक मनोज का होना बताया है। धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-15 तथा धारा 134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-17 तथा इन पर अंकित जवाब भी यह दर्शाते है कि दुर्घटना के समय टेम्पों का चालक अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक ही था। इसके अलावा भी उक्त टेम्पों चालक को भी इस दुर्घटना में चोटे आयी है, जिसकी सम्पुष्टि प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 नारायणसिंह की साक्ष्य से तथा

सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट

चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 14 डॉ. गजेन्द्रसिंह की साक्ष्य होती है, जिसने उसकी साक्ष्य में मनोज का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-22 होना बताते हुए उसके बांये पैर के अंदर की तरफ खरोंच व बांये हाथ की कलाई पर खरोंच होना बताया है। उक्त मनोज टेम्पो में सवारी के रूप में बैठा हो, ऐसा तथ्य कोई भी साक्षी नहीं बताता है। इस प्रकार टेम्पो चालक मनोज को आई उक्त चोटे भी यह दर्शाती है कि मनोज ही टेम्पों का चालक था, जिसे दुर्घटना में ही उक्त चोटे आयी है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से यह साबित होता है कि दुर्घटना के समय टेम्पों नं. आरजे 12 पीए 3555 का चालक अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक ही था।

22. जहां तक कार नं. आरजे 29 सीए 3296 के चालक की पहचान का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में श्रेष्ठ साक्षी पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा है, जो कार चालक अभियुक्त लोकेशसिंह की पत्नी ही है तथा दुर्घटना के समय उक्त कार में ही सवार थी। इस साक्षिया ने उसकी सशपथ साक्ष्य में बताया है कि उक्त कार को दुर्घटना के समय उसके पति ही चला रहे थे। इस साक्षिया की एकल साक्ष्य ही यह स्थापित करने हेतु पर्याप्त है कि दुर्घटना के समय उक्त कार का चालक अभियुक्त लोकेशसिंह ही था। तथापि इसके अलावा भी वाहन स्वामी श्रीमती उषा को दिये गये धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-8 तथा धारा 134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-16 पर आये जवाब से भी यही दर्शित होता है कि उक्त कार का चालक अभियुक्त लोकेशसिंह ही था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त लोकेशसिंह को भी इस दुर्घटना में चोटे कारित हुई है, जिसकी सम्पुष्टि करते हुए चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 14 डॉ. गजेन्द्रसिंह ने अभियुक्त लोकेशसिंह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-21 होना बताते हुए उसके सिर के बायी ओर कटा हुआ घाव एवं बांये व दांये घुटने पर खरोंच के रूप में उसके तीन चोटे होने की सम्पुष्टि की है। अभियुक्त लोकेशसिंह को उक्त दुर्घटना में ही उक्त चोटे आना अभियुक्त का ही दुर्घटना के समय उक्त का चालक होने के तथ्य को बल प्रदान करता है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि दुर्घटना के समय उक्त कार नं. आरजे 29 सीए 3296 का चालक अभियुक्त लोकेशसिंह ही था।

23. निर्णय के इस प्रक्रम पर अंततः वाहन चालन में उपेक्षा या उतावलेपन के बिन्दु पर प्रस्तुत साक्ष्य को देखे, तो अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक द्वारा चलाये जा रहे टेम्पों में सवार आहतगण पी.डब्ल्यु. 6 सुश्री कृष्णा, पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार व पी.डब्ल्यु 9 श्रीमती काली की साक्ष्य को देखे, तो पी.डब्ल्यु. 6 सुश्री कृष्णा ने उसकी मुख्य परीक्षा में ही कहा है कि कार चालक व टेम्पों चालक द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाने से एक्सीडेण्ट हुआ था। इसके अलावा प्रतिपरीक्षा में भी कहा है कि टेम्पो चालक टेम्पों को तेज रफ्तार से चला रहा था, इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मात्र कार चालक की गलती से एक्सीडेण्ट हुआ हो, बल्कि दोनो वाहनों के चालकों की लापरवाही से दुर्घटना होना बताया। इसी प्रकार आहत पी.डब्ल्यु. 8 राजकुमार ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया कि एक्सीडेण्ट कार चालक की गलती से हुआ था, उसने गलत दिशा से आकर टेम्पों को टक्कर मारी थी, परन्तु प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि दोनों वाहनों के चालकों द्वारा लापरवाहीपूर्वक चलाकर आमने सामने टक्कर मारने से यह दुर्घटना हुई। इनके अलावा आहता पी.डब्ल्यु. 9 श्रीमती काली ने उसकी मुख्य परीक्षा में बताया कि एक्सीडेण्ट कार वाले की गलती से हुआ था। फिर प्रतिपरीक्षा में

सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

कहा कि टेम्पों में 15-20 सवारियां बैठी हुई थी, जिससे टेम्पों का नियंत्रण बिगड़ गया और टेम्पों के चालक ने कार को टक्कर मार दी, कार उसकी सही साईड में चल रही थी। टेम्पों चालक की लापरवाही से एक्सीडेण्ट हुआ था। इनके अलावा इसी बिन्दु पर चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती उषा, जो कार में सवार थी, ने भी उसकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि टेम्पों चालक मनोज ने टेम्पों को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उनकी कार को टक्कर मार दी, टेम्पों में 20-25 सवारियां थी और टेम्पों चालक टेम्पों को लहराकर चला रहा था। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने उनकी सशपथ साक्ष्य में टेम्पों चालक एवं कार चालक दोनो की उपेक्षा एवं उतावलेपन से यह दुर्घटना होना बताया है। यद्यपि वाहन चालन में अधिक उपेक्षा टेम्पों चालक मनोज उर्फ मारमीक की होना उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में आया है, क्योंकि न केवल वाहन चलाने में उसकी उपेक्षा थी, अपितु टेम्पों में क्षमता से अधिक सवारियां भी उसने भरी हुई थी, जिससे टेम्पों का लहराकर चलना, टेम्पों पर नियंत्रण नहीं रहना आदि तथ्य भी उक्त तात्विक साक्षीगण की साक्ष्य में आये है। टेम्पों में अधिक सवारियां भरे होने के तथ्य को अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 10 गजराजसिंह ने भी उसकी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करते हुए बताया है कि टेम्पों में सवारिया क्षमता से अधिक थी, इस कारण एक्सीडेण्ट हुआ। तथापि कार चालक की उपेक्षा को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।

24. इस सम्बन्ध में नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है। नक्शा मौका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दुर्घटनास्थल डूंगरपुर-पीठ मुख्य सड़क के ठीक बीच का स्थान है, अर्थात् दोनों ही वाहन दुर्घटना के समय सड़क के बिल्कुल मध्य में थे। इस भांति से सड़क के मध्य में वाहन चलाना, जबकि टक्कर आमने सामने होने के कारण, उन्हें दुर्घटना से ठीक पूर्व सामने से कार/टेम्पों आता दिखा भी होगा, तथापि सड़क के मध्य भाग ही वाहन को उपेक्षापूर्वक दोनों ही वाहनों के चालकों द्वारा चलाया जाना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय टेम्पों चालक की टेम्पों चलाने में अधिक उपेक्षा दर्शित होती है, परन्तु कार चालक की भी कार चलाने उपेक्षा दर्शित होती है।

25. जहां तक अभियुक्तगण मनोज उर्फ मारमीक तथा अभियुक्त जीवा के विरूद्ध बिना चालक अनुज्ञप्ति के टेम्पों चलाना या चलाने हेतु देने के आरोप का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक द्वारा पत्रावली पर ऐसी कोई चालक अनुज्ञप्ति पेश नहीं की गयी है, जो यह दर्शित कर सके कि अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक दुर्घटना के समय टेम्पों चलाने की वैध अनुज्ञप्ति धारण करता था। जहां तक परमिट का प्रश्न है, तो अभियुक्त मनोज द्वारा चलाया जा रहा वाहन एक पैसेंजर वाहन था तथा दुर्घटना के दिन उक्त वाहन का कोई परमिट अभियुक्त या वाहन स्वामी के कब्जे में रहा हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर कहीं नहीं आया और न ही ऐसा कोई परमिट पत्रावली पर पेश किया गया है। अतः अभियुक्त मनोज व जीवा के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् आरोपित अपराध भी साबित होते है।

26. अतः पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण लोकेश सिंह, मनोज उर्फ मारमीक व जीवा के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त

11/3/26
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण लोकेश सिंह को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. में, अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. व धारा 39/192 ए एम.वी.एक्ट में तथा अभियुक्त जीवा को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 एम.वी.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

27. परिणामतः अभियुक्त लोकेश सिंह पिता शिवलाल, निवासी दुब्बी, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में, अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक पिता लालु, निवासी डोल कुंजेला सुराता, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/181, 39/192 ए मोटरयान अधिनियम में तथा अभियुक्त जीवा पिता चेतन, निवासी डोल कुंजेला सुराता, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

11/3/26
(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

परिवीक्षा व दण्ड के बिन्दु पर

28. परिवीक्षा व दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण ने 9 वर्ष तक अन्वीक्षा भुगती है। अभियुक्तगण की दोषसिद्धि सम्मन भांति के मामले में हुई है। अभियुक्तगण भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अभियुक्त मनोज का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होना तथा अभियुक्त लोकेश का सरकारी नौकरी हेतु सेलेक्शन हो जाना बताया है, परिवीक्षा का लाभ नहीं दिये जाने पर उनका भविष्य खराब हो जायेगा। अंत में अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

29. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण ने करीब 9 वर्ष तक अन्वीक्षा भी भुगती है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो, ऐसा भी कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण लोकेशसिंह व मनोज द्वारा सरकारी नौकरी की तैयारी करना बताया है। उक्त अभियुक्तगण को कारावास में भेजे जाने पर निश्चित रूप से उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रकरण के उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को

11/3/26

दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30. परिणामतः अभियुक्त लोकेश सिंह पिता शिवलाल, निवासी दुब्बी, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा (राज.) की धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त मनोज उर्फ मारमीक पिता लालु, निवासी डोल कुंजेला सुराता, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर (राज.) की धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/181, 39/192 ए मोटरयान अधिनियम में तथा अभियुक्त जीवा पिता चेतन, निवासी डोल कुंजेला सुराता, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर (राज.) की धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम में दोषसिद्धि पर उन्हें उक्त अपराध हेतु तत्काल किसी दण्ड से दण्डित नहीं कर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 15,000/- रूपये का मुचलका व समान राशि की एक जमानत एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों की पेश कर तस्दीक करावे कि वह समाज में शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा, तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण लोकेश सिंह, मनोज उर्फ मारमीक व जीवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत् क्रमशः 3,000/- (अक्षरे तीन हजार) रूपये, 5,000/- (अक्षरे पांच हजार) रुपये तथा 500/- (अक्षरे पांच सौ) रूपये बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे।

31. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिये हुए हैं, जो सुपुर्दगीदारों के पास रहे तथा उनके सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की परिसीमा के अवसान के पश्चात् अपील नहीं होने की सुरत में स्वतः निरस्त समझे जावे।

11/3/26
(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

32. निर्णय आज दिनांक 11-03-2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिश मेनारिया) 11/3/26
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)